दिनांक : दिसम्बर 13, 2018

अपीलीय पदाधिकारी
सी0पी0पी0आर0आई0
सहारनपुर – 247 001

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा वाँछित सूचना माँगी गयी थी, उसके उत्तर से प्रार्थी सन्तुष्ट नहीं है। उत्तर बिन्दुवार व प्रथक–प्रथक देने का कष्ट करे। जिसका विवरण निम्न है।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी को जो सूचनाऐं प्रस्तुत की गई हैं वे तोड–मरोडकर दो–दो तीन–तीन बिन्दुओं की एक साथ प्रस्तुत की गई हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को सही सूचना बिन्दुवार प्रथक–प्रथक देने की कृपा करें।

(1) श्री मु0 इस्लाम पुत्र स्वर्गीय अता मोहम्मद को आपने 19 मई 2018 को लोवर डिविजन क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। परन्तु आपने टेस्ट को सुनियोजित ढंग से निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा फाईल मे लिख कर निदेशक महोदय से संस्तुति लेते है वह, और जो शिकायती पत्र आया है। उसकी फोटो कापी देने की कृपा करें।

(2) मुझको पुनः 17 जून 2018 को लोवर डिविजन क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया । परन्तु आपने टेस्ट को सुनियोजित ढंग से फिर निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा फाईल मे लिख कर निदेशक महोदय से संस्तुति लेते है वह, और जो शिकायती पत्र आया है। उसकी फोटो कापी देने की कृपा करें।

(3) महोदय, मुझे दो बार लिखित परीक्षा निरस्त होने के पश्चात आपने तीसरी बार 9 सितम्बर 2018 को लोवर डिविजन क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया। परन्तु आपने लिखित परीक्षा को तीसरी बार भी सुनियोजित ढंग से फिर निरस्त कर दिया। तीसरी बार की निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा फाईल मे लिख कर निदेशक महोदय से संस्तुति लेते है वह, और जो शिकायती पत्र आया है। उसकी फोटो कापी देने की कृपा करें।

(4) महोदय, मैं एक किसान परिवार से प्रमानेन्ट नियुक्ति के लिए काफी समय से प्रयत्नशील है। आपने दो किसान परिवारों को संस्थान द्वारा नियुक्ति के लिए लिखित दिया है, जबकि पाँच किसान परिवारों को संस्थान द्वारा लिखित दिया गया सभी की उम्र आपने ज्यादा कर दी है। और संजीव कुमार को आपने संस्थान मे कई बार ठेकेदार के स्वरूप कार्य दिये है। कितने किसान परिवारों को संस्थान में नियुक्ति दी है। नोट सीट सहित उत्तर देने का कृष्ट करें। किसान परिवार के सदस्य को संस्थान में रिक्त पद पर योग्यतानुसार नियुक्ति दी जाये यह शासनादेश है। आप अन्य अभ्यार्थियों के साथ नहीं रख सकते है ओर ना ही आप उनको किसी भी प्रकार से परीक्षा के लिये बाध्य कर सकते है।

(5) जी0सी0 से मु0 इस्लाम के लिए सितम्बर 2009 मे नियुक्ति प्रदान करने हेतु पारित आदेश लेने के बाद क्या संयुक्त सचिव व डिप्टी सेकेट्री तथा अन्डर सेकेट्री को आप के द्वारा बार–बार मेरा नियुक्ति मेटर ले जाना जरूरी है, क्या संयुक्त सचिव व डिप्टी सेकेट्री तथा अन्डर सेकेट्री को नियुक्ति प्रदान करने का या जी0सी द्वारा परित आदेश को निरस्त करने का अधिकार है। मेरे पास आपके द्वारा सेकेट्रियों को भेजे गये पत्र सबूत के तौर पर मोजूद है नोट सीट सहित उत्तर देने का कष्ट करें।

धन्यवाद

प्रार्थी
मो० इस्लाम 13/12/18
मु0 इस्लाम पुत्र अता मोहम्मद
जे0आर0एफ0
सी0पी0पी0आर0आई0,
सहारनपुर – 247 001

प्रतिलिपि संलग्न
1) पूर्व में मेरे द्वारा भेजा गये पत्र की फोटो कापी
2) संस्थान द्वारा दी गई सूचना पत्र की फोटो कापी

PIO कृपया उपरोक्त विषय मे दिनांक 27/12/18 को अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
[signature] 19/12/18

डा. मनोज कुमार गुप्ता, PIO.

कार्यालयः जनसूचना अधिकारी,
केन्द्रीय लुगदी एव कागज़ अनुसंधान संस्थान,सहारनपुर

नं.सीपीपीआरआई/आरटीआई/2018/08(आई)/281/

दिनांक: 12.12.2018

श्री मोहम्मद इस्लाम,
जे.आर.एफ.,
सीपीपीआरआई,
सहारनपुर,

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2018 के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2018 जो कि सूचना का अधिकार, अधिनियम - 2005 के अंतर्गत इस संस्थान को प्रेषित है का संदर्भ लें।

इस संबंध में सूचनीय है कि आप द्वारा वांछित सूचना संस्थान के संबन्धित विभाग से उनके पत्र दिनांक 11.12.2018 द्वारा प्राप्त हुई है जिसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है ।

भवदीय,

(एम. के. गुप्ता)
जन सूचना अधिकारी

संलग्नकः यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निदेशक, केन्द्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

Central Pulp & Paper Research Institute
Saharanpur

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VII Dated 11.12.2018

ION

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई / आरटीआई / सीआईसी / 2018 / 10(आई) / 281 दिनांक 14.11..2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री मोहम्मद इस्लाम, सहारनपुर का आवेदन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अग्रसरित किया गया है। इस संबध में सूचना व्योरेवार उपलब्ध कराई जा रही है।

1,2,3,: निर्धारित तिथियों से पूर्व लोवर डिविजन क्लर्क की परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उनके परीक्षा से पहले निस्तारण के कारण लिखित परीक्षा स्थगित की गई।

4. संस्थान ने कितने किसानो को नियुक्ति के लिए लिख कर दिया है इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। यद्यपि मो. इस्लाम पुत्र श्री अता अहमद, शेखपुरा कदीम एवं श्री संजीव पाल पुत्र श्री अजमेर सिंह, शेखपुरा कदीम को संस्थान में सेवा की प्रार्थना के उपरान्त यह लिख कर दिया है कि जब भी संस्थान में पद रिक्त होंगे उनके विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त अपनी योग्यतानसुार आवेदन करें और अन्य अभ्यार्थियों के साथ उनकी योग्यतानुसार उन्हें भी बराबर माना जाएगा।

5. सूचना के अधिकार में सिर्फ संस्थान में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है।

अनुप सक्सेना

(ए.के.सक्सेना)
प्रशासनिक अधिकारी

डा. एम.के.गुप्ता
वैज्ञानिक एफ, जन सूचना अधिकारी
सीपीपीआरआई, सहारनपुर

दिनांक : नवम्बर 12, 2018

लोक सूचना पदाधिकारी
सी0पी0पी0आर0आई0
सहारनपुर – 247 001

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा वाँछित सूचना माँगी गयी, जिसका विवरण निम्न है।

(1) श्री मु0 इस्लाम पुत्र स्वर्गीय अता मोहम्मद को आपने 19 मई 2018 को लोवर डिविजन क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। परन्तु आपने टेस्ट को सुनियोजित ढंग से निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट देने की कृपा करें।

(2) श्री मु0 इस्लाम को लिखित परीक्षा के लिए आपने दूबारा 17 जून 2018 को लोवर डिविजन क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। परन्तु आपने टेस्ट को सुनियोजित ढंग से फिर निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट देने की कृपा करें।

(3) श्री मु0 इस्लाम को लिखित परीक्षा के लिए आपने तीसरी बार 9 सितम्बर 2018 को लोवर डिविजन क्लर्क पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। परन्तु आपने लिखित परीक्षा को बार–बार सुनियोजित ढंग से फिर निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट देने की कृपा करें।

(4) मु0 इस्लाम एक किसान परिवार से परमानेन्ट नियुक्ति के लिए काफी समय से प्रयत्नशील है। आपने कितने किसान परिवारों को संस्थान द्वारा नियुक्ति के लिए लिखित दिया है, और कितने किसान परिवारों को संस्थान में नियुक्ति दी है। नोट सीट सहित उत्तर देने का कृष्ट करें।

(5) जी0सी0 से मु0 इस्लाम के लिए सितम्बर 2009 मे नियुक्ति प्रदान करने हेतु पारित आदेश लेने के बाद क्या संयुक्त सचिव व डिप्टी सेकेट्री तथा अन्डर सेकेट्री को आप के द्वारा बार–बार मेरा नियुक्ति मेटर ले जाना जरूरी है, क्या संयुक्त सचिव व डिप्टी सेकेट्री तथा अन्डर सेकेट्री को नियुक्ति प्रदान करने का या जी0सी द्वारा परित आदश को निरस्त करने का अधिकार है। नोट सीट सहित उत्तर देने का कष्ट करें।

धन्यवाद

प्रार्थी
मो0 इस्लाम 12/11/18
मु0 इस्लाम पुत्र अता मो0
जे0आर0एफ0
सी0पी0पी0आर0आई0,
सहारनपुर – 247 001